<u>न्यायालय न्यायिक मजि0 पुरवा उन्नाव।</u>

जमानत प्रार्थनापत्र सं0—541 / 2026

सरकार बनाम अनिल कुमार

<u>दिनांक—08.07.2026</u>

आवेदक / अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से मु0सं0—156 / 2025 अ0सं0—197 / 2024, धारा 379 भा0दं0सं0, थाना मौरांवा, जिला उन्नाव में प्रार्थनापत्र पर वर्णित आधारों पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

अभियुक्त आत्मसर्मपण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एंव पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त के द्वारा मु0 20,000 / —रू0 रूपये का स्वबन्ध पत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे दिनांक 14.07.2026 तक के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियत तिथि 14.07.2026 को आत्मसर्मपण कर नियमित जमानत की सुनवाई हेतु पेश हों।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुरवा,उन्नाव।